कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिंदवाड़ा (सा.) वनमंडल

E-mail ID :: cweastdn@rediffmail.com / dfotechwara@mp.gov.in, P.- (07162)243457, Fax (07162)242267

क्रमांक/मा.चि./2021/2925 **छिंदवाड़ा, दिनांक/28/12/2021**

प्रति,

संभागीय प्रबधंक

एम पी आर डी सी, छिन्दवाड़ा

विषय :— छिन्दवाडा जिले के अंतर्गत शासन की एडीबी–6/7 योजना अंतर्गत स्वीकृत (हर्रई से बिजोरी मार्ग, राज्य मार्ग कमांक 41) कुल लंबाई 72.73 कि.मी. के उन्नयन कार्य में प्रयुक्त होने वाली 6.372 हे. वनभूमि के सबंध में ।

संदर्भः— आपका पत्र कमांक 832 दिनांक 24.12.21।

===❀❀❀===

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आपके द्वारा हर्रई–बिजोरी मार्ग (राज्य मार्ग क. 41) कुल लंबाई 72.731 कि.मी. के उन्नयन कार्य कार्य में वनक्षेत्र में 7.28 कि.मी. रकबा 6.372 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है । जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन प्रविष्टि कर 4 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है । प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न बिन्दुओं की पूर्ति आपके द्वारा पूर्ण कर अभिलेख सहित प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

बिन्दु क. 01– वनाधिकार अधिनियम 2006 मान्यता अधिनियम 2008 के अंतर्गत विनिश्चियन सबंधी कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।

बिन्दु क. 02– प्रस्तावित मार्ग निर्माण में राजस्व वनभूमि तो प्रभावित नही हो रही है, इस सबंध में तहसीलदार हर्रई का प्रमाण पत्र ।

बिन्दु क. 03– प्रभावित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि 6.372 हे. भूमि जो वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई है । उक्त भूमि का उपयुक्तता संबधी प्रमाण पत्र संलग्न करें साथ ही पी–2 फार्म खसरा, नक्शा की प्रति भी संलग्न करें ।

बिन्दु क. 04– प्रभावित वनक्षेत्र की KML फाईल एंव वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की KML फाईल की साफ्ट कॉपी भी प्रस्तुत करें ।

बिन्दु क. 05– FCA के अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव पार्ट 1 को अनुमोदित कर प्रस्तुत करें ।

बिन्दु क. 06– प्रकरण में पंजीयन प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 6000/– वनमंडलाधिकारी पूर्व छिन्दवाडा वनमंडल के नाम बैंक ड्राफ्ट या डीडी के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- मूलतः प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

28.12.21

वनमंडलाधिकारी
पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल

पृष्ठा.क्रमांक./मा चि./2021/2926 छिंदवाड़ा, दिनांक/28-12-21

प्रतिलिपिः— 1. वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त भूमि ग्राम लहगडुआ ख.क. 71/1 रकबा 6.372 हे. भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

28.12.21

वनमंडलाधिकारी
पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल